कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग (चमोली)।
Office of the Executive Engineer, P.D, P.W.D. Karanprayag

E-Mail: eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक /10एल.ए. दिनांक / /2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषय:- जनपद चमोली में सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449 है. वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- ~~भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक~~ 8बी./यू.सी.पी./06/217/2016 /एफ.सी./1836 दिनांक 03.12.2018 इस कार्यालय का पत्रांक 1001/10एल0ए0 दिनांक 21.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/217/2016/एफ.सी./945 दिनांक 07–05–2017 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	राज्य सरकार के पत्र दिनांक 15–10–2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि चयनित विभिन्न ग्रामों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण उसके स्थान पर ग्राम नौली सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है, किन्तु सम्बन्धित दस्तावेजों को ऑन लाईन वैब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार CA scheme, ownership proof, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों की मूल प्रति खतौनी के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करेगी साथ ही सभी दस्तावेजों तथा KML file को ऑन लाईन वैब पोर्टल के पैरा L के पार्ट I तथा पैरा 13 के पार्ट II पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि संशोधित CA area का DSS किया जा सके।	वर्तमान में पोर्टल ओपन होने के उपरान्त CA scheme, ownership proof, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं डिजिटल मैप व KML file को पोर्टल पर आपलोड कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 1001/10 एल0ए0 दिनांक 21.05.2024 द्वारा हार्ड कॉपी पूर्व में प्रेषित की जा चुकी।
2	बिन्दु संख्या 06 एवं 07 के जवाब में राज्य सरकार द्वारा geo-referenced digital map of proposed road तथा VLC proceeding of village 'Airwadi' एवं 'Ghandiyal' की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार geo- referenced digital map of proposed road तथा VLC proceeding of village 'Airwadi' एवं 'Ghandiyal' की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	वर्तमान में पोर्टल ओपन होने के उपरान्त FRA से सम्बन्धित मूल दस्तावेज पोर्टल पर आपलोड कर दिये गये है। तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1001/10 एल0ए0 दिनांक 21.05.2024 द्वारा हार्ड कॉपी पूर्व में प्रेषित की जा चुकी।
3	बिन्दु संख्या 08 के जवाब में राज्य सरकार VLC proceeding of village 'Khandura' की मूल प्रति को ऑन लाईन वैब पोर्टल पर अपलोड करेगी।	खण्डूरा ग्राम धारकोट ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है धारकोट की टरू में खण्डूरा ग्राम वासीयो का अनापत्ति प्रमाण पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 1001/10 एल0ए0 दिनांक 21.05.2024 द्वारा हार्ड कॉपी पूर्व में प्रेषित की जा चुकी।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों की अनुपालन आख्या तैयार कर ई-पोर्टल (https/parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(इ0 नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

पत्रांक 2281/10एल.ए. दिनांक 06/11/2024

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता, सातवाँ वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

6.11.24

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

Computer Sandrbh.I

AnyScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग (चमोली)।
Office of the Executive Engineer, P.D, P.W.D. Karanprayag

E-Mail: eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 1001 /10एल.ए. दिनांक 21 /05/2024
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषय:– जनपद चमोली में सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449 है. वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/217/2016 /एफ.सी./1836 दिनांक 03.12.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/217/2016/एफ.सी./945 दिनांक 07–05–2017 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	राज्य सरकार के पत्र दिनांक 15–10–2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि चयनित विभिन्न ग्रामों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण उसके स्थान पर ग्राम नौली सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है, किन्तु सम्बन्धित दस्तावेजों को ऑन लाईन वैब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार CA scheme, ownership proof, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों की मूल प्रति खतौनी के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करेगी साथ ही सभी दस्तावेजों तथा KML file को ऑन लाईन वैब पोर्टल के पैरा L के पार्ट I तथा पैरा 13 के पार्ट II पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि संशोधित CA area का DSS किया जा सके।	वर्णित समस्त दस्तावेजों फार्म ए भाग–I में ऑन लाईन अपलोड करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 872/10एल.ए. दिनांक 02–05–2024 द्वारा CA scheme, ownership proof, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं डिजिटल मैप व KML file संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है। सलग्न:– उक्तानुसार।
2	बिन्दु संख्या 06 एवं 07 के जवाब में राज्य सरकार द्वारा geo-referenced digital map of proposed road तथा VLC proceeding of village 'Airwadi' एवं 'Ghandiyal' की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार geo- referenced digital map of proposed road तथा VLC proceeding of village 'Airwadi' एवं 'Ghandiyal' की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	FRA से सम्बन्धित मूल दस्तावेज पूर्व में प्रेषित अनुपालन आख्या तक संलग्न किये गये थे वर्तमान में FRA प्रपत्र की छायाप्रति प्रमाणित कर प्रेषित है। संलग्न– उक्तानुसार।
3	बिन्दु संख्या 08 के जवाब में राज्य सरकार VLC proceeding of village 'Khandura' की मूल प्रति को ऑन लाईन वैब पोर्टल पर अपलोड करेगी।	बिन्दु संख्या 02 के अनुपालन के अनुसार।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों की अनुपालन आख्या तैयार कर ई–पोर्टल **(https//parivesh.nic.in/)** पर अपलोड कर वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(इं. नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

पत्रांक 1001 /10एल.ए. दिनांक 21 /05/2024
प्रतिलिपि:– जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉं वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

Computer Sandrbh.224

AnyScanner

9-3/2018

– आदेश –

जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.449 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.898 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/217/2016/एफ0सी0/945 दिनांक 07.9.2017 की शर्त सं0–1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.449 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में **ग्राम नौली,** प0वृ0 थापली, तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0ख0सं0–12 के खसरा सं0–126 रकबा 5.086 है0 मध्ये 2.898 है0 भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज है, का वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 दिनांक 17. दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(आशीष जोशी)
जिलाधिकारी
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या 3179/छब्बीस–12(2017–2018) गोपेश्वर दिनांक 3 मार्च 2018

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग।

Photo copy attested

जिलाधिकारी
चमोली।

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड, लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

P T O

AnyScanner

NZA खतौनी नकल ग्राम नौली तह० उपजिलाधिकारी तह० कर्णप्रयाग
जिला चमोली

श्रेणी 10(4) अन्य कारणों से अकृषिक	3	4	5	
भीटा	2	7.218		आदेश
	71	0.553		श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय (कर्णप्रयाग)
	78	0.017		के आदेश सं० 3179/ [illegible]
	81	0.010		12 (2017-2018) आदेश
	126	5.086		दिनांक 7 मार्च 2018 के
	241	0.065		अनुसार ग्राम नौली के
	312	0.029		खाता सं० 12 के खसरा नं०
	325	0.008		126 रकबा 5.086 में से 2.292
	375	0.060		हे० भूमि [illegible]
	413	0.018		[illegible] के [illegible]
	450	0.030		[illegible] आवास [illegible]
	613	0.084		निर्माण हेतु [illegible]
	617	0.083		[illegible] के [illegible]
	622	0.014		के पक्ष में नामान्तरण [illegible]
	646	0.020		[illegible] की जाने की [illegible]
	693	0.373		शासनादेश सं० 273/ [illegible]
	704	0.039		111 (1) /2012-18 (120)
	799	0.095		2010 दिनांक 17 दिसम्बर
				2012 के क्रम में मुताबिक
				आदेश खतौनी में दर्ज
	19	13.996		किया

[illegible] 3.18
रा० उ०नि०
[illegible]

प्रमाणित / NZA खतौनी नकल [illegible]

[illegible] 6.4.18

तहसीलदार
कर्णप्रयाग

C.S.
10/04/2018
उप जिलाधिकारी

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
[illegible] लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

AnyScanner

डिजिटल मैप:-सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग से ग्राम बणियास मोटर मार्ग तक निर्माण हेतु चयनित संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

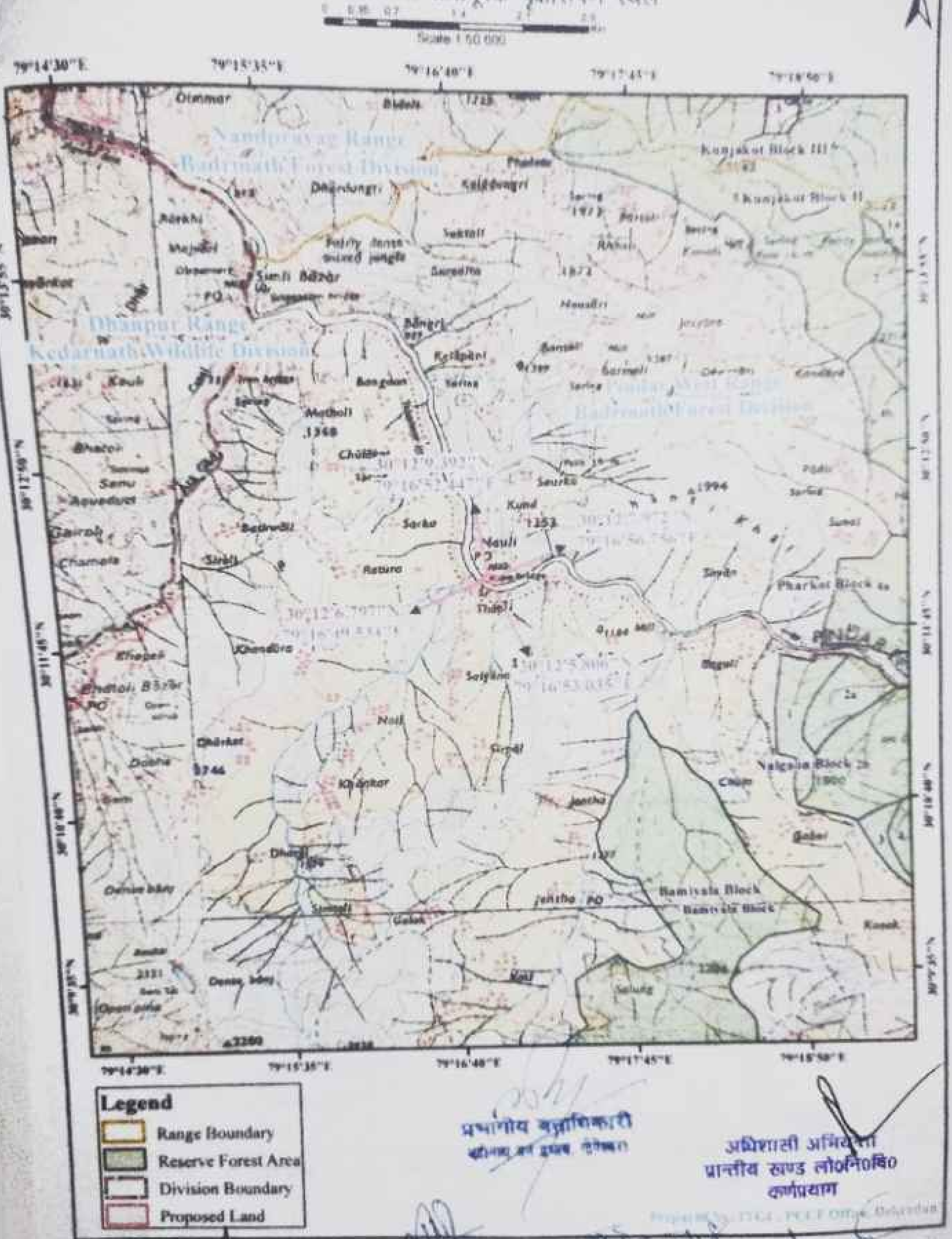

प्रभागीय वनाधिकारी

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

Assistant Engineer
P.W.D. Karanprayag

अधिशासी अभियन्ता

कर्णप्रयाग

रफरेन्स मैप:- सिमली–चूलाकोट मो. मार्ग से ग्राम बणियास मोटर मार्ग तक निर्माण हेतु चयनित संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

Scale 1:2,000

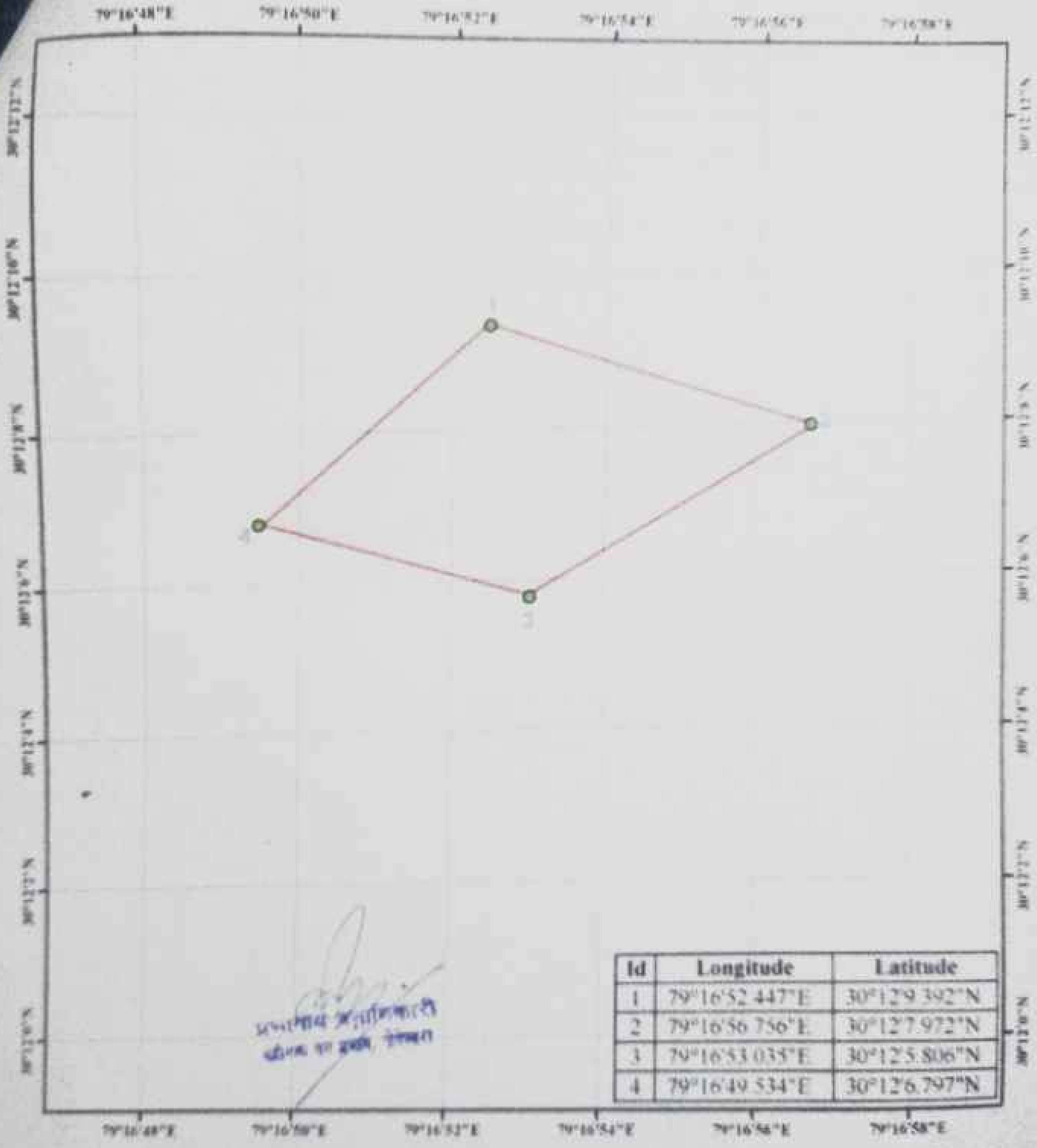

Id	Longitude	Latitude
1	79°16'52.447"E	30°12'9.392"N
2	79°16'56.756"E	30°12'7.972"N
3	79°16'53.035"E	30°12'5.806"N
4	79°16'49.534"E	30°12'6.797"N

Legend

- GPS coordinates
- Proposed Land

प्रभागीय वनाधिकारी

Assistant Engineer
P.W.D. Karanprayag

Prepared by: [illegible]

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम– जिला चमोली में सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449है. वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण ।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वनभूमि हस्तान्तरण में वन विभाग द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अमीन लो.नि.वि.	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

AnyScanner

परियोजना का नाम– जिला चमोली में सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449है. वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण ।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों तरफ आस–पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव वन विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।

अमीन लो.नि.वि.	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

फाइल संख्या 3K/अ0
क्रम संख्या 605
प्राप्ति तिथि 07.07.24

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम : – जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – घारकोट
तहसील– कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य/परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम खण्डुड़ा की सिविल सोयम भूमि 0.325 हे0 , अर्थात कुल 0.325 हे0 एवं ग्राम बनियास की सिविल सोयम भूमि 0.212 हे0 , अर्थात कुल 0.325 हे0 वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खण्डूडा द्वारा दिनांक 11-11-2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खण्डूडा, बनियास के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी पी0डब्ल्यू0डी0 कर्णप्रयाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत– [illegible]
वि0 खण्ड– [illegible]

ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत घारकोट
ह0/–

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

R.No. 605/3K/अ0 07-07-24
प्रतिलिपि – सहायक अभियन्ता [illegible] प्रान्तखण्ड, लो0 नि0 वि0 कर्णप्रयाग को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 11-11-2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धारकोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	सुनील कुमार	[signature]
02	सुदामा लाल	[signature]
03	किशोर कुमार	[signature]
04	बलवीर लाल	बलवीर लाल
05	राकेश कुमार	[signature]
06	रघुबीर लाल	Jagbeer
07	मनोज लाल	[signature]
08	आशिष कुमार	Ashish
09	जसपाल लाल	[signature]
10	मनोहर कुमार	MANOHAR Kumar
11	कुन्दन लाल	कुन्दन
12	कुणाल लाल	कुणाल
13	सतीश कुमार	
14	महावीर लाल	महावीर लाल
15	विजय कुमार	[signature]
16	हरीश लाल	हरीश लाल
17	महेश्वरी देवी	महेश्वरी देवी
18	रमेश लाल	Ramesh
19	सुमित	[signature]
20	हिमांशु	Himanshu

ह0/–
ग्राम प्रधान

फाइल नम्बर.....
क्रम संख्या.... 591....
प्राप्ति तिथि ...01.07.2024

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम : – जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – ऐरवाड़ी
तहसील– कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य/परियोजना के निर्माण हेतु सिविल सोयम भूमि 0.196 हे0 , अर्थात कुल 0.196 वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ऐरवाड़ी द्वारा दिनांक 11.11.2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम एरवाड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी पी0डब्ल्यू0डी0 कर्णप्रयाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत– ...
वि0 खण्ड– कर्णप्रयाग

ह0/–
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत ऐरवाड़ी

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

AW 591 / 2020   DT 01/7/24
प्रतिलिपि ... ... एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 11-11-2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ऐरवाड़ी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	भगवती प्रसाद	[illegible]
02	सुमन सिंह गुसाईं	[illegible]
03	रतन सिंह	रतन सिंह
04	नरेन्द्र सिंह नेगी	[illegible]
05	देविन्द्र	[illegible]
06	Khushal Singh Gusain	[illegible]
07	UMED Singh	[illegible]
08	Gambhir Singh	[illegible]
09	Rakesh Singh	[illegible]
10	सतानन्द	सतानन्द
11	दिवाकर सिंह	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	Hayat singh	[illegible]
14	RAKESH SINGH	[illegible]
15	नत्थन सिंह	[illegible]
16	महिपाल सिंह	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत ... ह० ... दिनांक 11/11/22 ... कर्णप्रयाग (चमोली)

ह०/–

ग्राम प्रधान

प्रारूप—30.3

परियोजना का नाम : — जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली—चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — घण्ड़ियाल
तहसील— कर्णप्रयाग, जिला—चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में सिमली—चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु हे0 सिविल सोयम/वन पंचायत भूमि अर्थात कुल हे0 वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत घण्ड़ियाल द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घण्ड़ियाल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी पी0डब्ल्यू0डी0 कर्णप्रयाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रारूप–30.4

दिनांक को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत घण्ड़ियाल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	श्री जालेश्वर सिंह	[illegible]
02	" कृतान सिंह कोटियाल	Kirtisingh 9568128638
03	" सुजान सिंह	[illegible]
04	" विनोद सिंह	
05	" सुरेन्द्र सिंह	S.S.[illegible]
06	" प्रदीप सिंह रमोला	[illegible]
07	" जोत सिंह	[illegible]
08	" महावीर सिंह	[illegible]
09	" भगवान सिंह	
10	" हीरा सिंह	[illegible]
11	" भवान सिंह नेगी	[illegible]
12	" मनोज सिंह	Manoj
13	" भरत सिंह नेगी	[illegible]
14	" नारायण सिंह	[illegible]
15	" फतेह सिंह	[illegible]
16	" नरेन्द्र सिंह	
17	अजय सिंह	Ajay
18	नवीन तोमर	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]

21 Pramod Mani — [illegible]

22 आनन्द सिंह नेगी [illegible]

23. शिशपाल [illegible]

24 MOHANSINGH B. BHIST

25 अमित सिंह [illegible] 80/-

26 Amit Negi

27 " यशवन्त कठैत YBakkait

28. " सुरेन्द्र कठैत [illegible]

AnyScanner